समाहरणालय, अररिया
(जिला निर्वाचन प्रशाखा)
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

आगामी लोकसभा आम निर्वाचन–2019 के आलोक में निर्वाचन कार्यो में उपयोग की जाने वाली मतदान सामाग्रियों यथा– टेंट शमियाना, लेखन/मुद्रण सामाग्री, विडियोग्राफी एवं भाड़े पर कम्प्युटर, अन्य सामग्री/जी0पी0एस0 एवं भोजन/नाश्ता आदि के दरों का निर्धारण के लिए यह अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जा रही है। यह निविदा द्वि लिफाफा पद्धति से जमा किया जाना है, जिसमें एक तकनीकी अभिलेख के लिए और दूसरा वित्तीय दर **(B.O.Q)** के लिए होगा। इस हेतु जिला निर्वाचन प्रशाखा, अररिया के स्तर से **B.O.Q (Bill of quantity)** परिमाण विपत्र तैयार किया गया है। यह परिमाण विपत्र क्रमशः पॉच खंडों **A, B, C, D,** एवं **E** उपलब्ध है। प्रत्येक खंड का क्रय मूल्य 500 रूपये निर्धारित है, यह परिमाण विपत्र नगद भुगतान पर जिला निर्वाचन प्रशाखा, अररिया से क्रय किया जा सकता है। परिमाण विपत्र में सामग्रियों के विरूद्ध दर अंकित कर तथा अच्छी तरह भरकर तिथि सहित हस्ताक्षर करके अपने फर्म के नाम और पूरे पते के साथ दिनांक **20/02/2019** को **03.00** बजे अपराह्म तक जिला निर्वाचन प्रशाखा, अररिया में दिया जा सकता है। निर्धारित समय के पश्चात् कोई भी निविदा प्राप्त नहीं किया जायेगा। मूल परिमाण विपत्र मे ही दर अंकित करने की बाध्यता होगी। प्राप्त निविदा दिनांक **20.02.2019** के अपराह्ण **4.00** बजे जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह– जिला पदाधिकारी, अररिया की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा खोली जायेगी।

निविदा की शर्तें

1. निविदा में दिये जाने वाले दर सभी प्रकार के जो लागू हो सभी कर सहित दर अंकित करना होगा।
2. निविदादाता को जी0एस0टी0/आयकर नम्बर होना चाहिए तथा इसका अद्यतन प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
3. निविदादाता को जी0एस0टी0 का एक वर्ष एवं आयकर का विगत दो वर्षो का अद्यतन रिर्टन संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. प्रत्येक B.O.Q के लिए कम से कम दो वर्षो का निर्वाचन संबंधी कार्यो का अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं रहने सम्बंधी शपथ–पत्र संलग्न करना होगा।
6. B.O.Q के कमांक A एवं D के लिए **50000.00/–**(पचास हजार) B.O.Q के कमांक B, C एवं E के लिए **30000.00/–**(तीस हजार) रूपया का बैंक ड्राफ्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह– जिला पदाधिकारी, अररिया के पदनाम से प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा।
7. कार्य आवंटन होने के पश्चात् जिला निर्वाचन कार्यालय, अररिया में निर्धारित तिथि तक सामग्री उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए किसी प्रकार का मार्ग व्यय अलग से देय नहीं होगा।
8. भुगतान की प्रक्रिया सामग्री/कार्य की गुणवत्ता के आधार पर की जायेगी।
9. निविदा में बिना कोई कारण बताये संशोधन करने, स्थगित करने, रद्द करने एवं निर्धारित दर पर एक से अधिक निविदा–दाता को कार्य आवंटित करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

30/1/19

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
सह–जिलाधिकारी, अररिया